



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225608
CG-DL-E-03032021-225608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 944]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942

No. 944]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

का.आ. 1023(अ).—केंद्रीय सरकार, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1015(अ), तारीख 6 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) आरंभिक पैरा में,-

(क) “और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपपैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) राज्य निर्वाचन आयुक्त, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ।”;

(ii) पैरा 2 में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पैरा 3 के उपपैरा (ii) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एच-11019/3/2019-वि.II]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक का.आ. 1015(अ), तारीख 6 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 6 मार्च, 2020 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

S.O. 1023(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department), number S.O. 1015(E), dated the 06th March, 2020, namely:-

In the said notification,—

(i) in the opening paragraph,—

(a) the words, “and the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland”, shall be omitted;

(b) for sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(iii) The State Election Commissioner, the Union territory of Jammu and Kashmir.”;

(ii) in paragraph 2, for the words, “one year”, the words, “two years” shall be substituted;

(iii) in paragraph 3, sub-paragraph (ii) shall be omitted.

[F. No. H-11019/3/2019-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Note : The principal notification number S.O. 1015(E), dated 06th March, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 06th March, 2020.